सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 02, शुक्रवार, *शाके* 1945-जून 23, 2023 *Asadha 02, Friday , Saka 1945- June 23, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 14, 2023

संख्या प.4(35) कृषि/ग्रुप-2/2019 :-जैसा कि राज्य सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 23.05.2022 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, बहरोड की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, बहरोड द्वारा मण्डी क्षेत्र ग्राम मांढण में गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 05 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार मांढण में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है। जिसकी सीमा निम्न प्रकार से होगीः-

पूर्व मे - कुण्ड- बहरोड रोड के दोनो तरफ दुकानों को सम्मिलित करते हुए महेन्द्र एच.पी.गैस एजेन्सी तक।

पश्चिम में - मैन मार्केट रोड के दोनो तरफ दुकानों को सम्मिलित करते हुए कपिल प्रजापत जनरल स्टोर तक।

उत्तर में - कपिल प्रजापत जनरल स्टोर से पुलिस थाना तक।

एवं दक्षिण में - श्री श्याम कॉलेज रोड से होते हुए खुशी मोबाईल सेन्टर तक।

गौण मण्डी यार्ड मांढण की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकाने एंव भू-भाग आदि सम्मिलित होगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।